अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 444(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18.09.1995 की अधिसूचना सं. का.आ. 791(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "विकलांगों की प्रगति और पुनर्वास के लिए ऐसोसिएशन (आरोह), 224, वसंत एनक्लेव, नई दिल्ली-110057" द्वारा "मानसिक रूप से विकलांगों के लिए नवज्योति केंद्र के निर्माण, उपस्कर और साज-सज्जा" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 1996-1997 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 9 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 11.08.1998 की अधिसूचना सं. का.आ. 683(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; और जिसे बाद में दिनांक 20.09.2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 909(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 को आरंभ होने वाली तीन वर्षों

की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 23.05.2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 378(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे दिनांक 23.10.2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1795(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 27.04.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 865(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के अठारह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत को 30 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 51 लाख रुपए से 1.20 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 1.20 करोड़ रुपए तक बढाए जाने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 30 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 51.00 लाख रुपए से 1.20 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 1.20 करोड़ रुपए तक संशोधित करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "विकलांगों की प्रगति और पुनर्वास के लिए ऐसोसिएशन (आरोह), 224, वसंत एनक्लेव, नई दिल्ली-110057" द्वारा चलाई जा रही "मानसिक रूप से विकलांगों के लिए नवज्योति केंद्र के निर्माण, उपस्कर और साज-सज्जा" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ; चूँकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए यह अधिसूचित किया जाएगा कि उक्त वित्तीय वर्ष के लिए कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी ; और

(ख) दिनांक 18 सितंबर, 1995 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 791(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है, नामत :

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 9, कालम (4) के सामने सारणी में, '30 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 51 लाख रुपए' अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए '1.20 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 1.20 करोड़ रुपए' अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 74/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)